न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

प्रार्थना–पत्र संख्याः **51/2021** दायर दिनाँक **25.05.2021**

प्रार्थी		अप्रार्थी
1. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम	1. दयालसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह जाति राजपूत निवासी रूंवा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर राज.।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 84–86 R.T. Act.

उपस्थितः–

1. श्री प्रभुदयाल व्यास तहसीलदार, डीडवाना प्रार्थी।
2. श्री प्रितम सिंह वकील अप्रार्थी।

दिनाँक **30.06.2021**

–:: निर्णय ::–

तहसीलदार, डीडवाना ने अपने पत्र क्रमांक राजस्व/21/925 दिनांक 24.05.2021 के द्वारा प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया कि हल्का पटवारी सांनिया की रिपोर्ट अनुसार ग्राम रूवां के ख.न. 498 रकबा 7.9000 हैक्टर किस्म गै.मु.गौचर में से दिनांक 14.05.2021 को दयाल सिंह पुत्र पृथ्वी सिंह जाति राजपूत निवासी रूवां द्वारा 27 पेड़ जे.सी.बी. से काट दिये गये।

हल्का पटवारी की मौका रिपोर्ट के अनुसार 14 खेजडी के हरे पेड कटे हुए मौके पर पडे है एवं जिनके छोटे–बडे टुकडें किये गये है तथा लगभग 13 पेड़ काटकर मौके से भरकर अन्यत्र ले गये। मौके पर पडे हुए 14 पेडों के टुकडों को राजकीय तहविल में लिया गया। शेष 13 पेडों को तहसीलदार डीडवाना के पत्रांक राजस्व/21/936 दिनांक 31.05.2021 के द्वारा राजकीय तहविल में लिया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की तरफ से वकील श्री प्रितम सिंह ने वकालतनामा व जवाब पेश किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2021.08.02 16:37:51 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with CamScanner

वकील प्रार्थी को सुना गया। रेकर्ड का अवलोकन किया। तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट अनुसार ग्राम रूवां के ख.न. 498 किस्म गै.मु.गोचर में कटे सभी 27 पेड़ो राजकीय तहविल में लिया जा चूका है एवं प्रार्थी को इस संबन्ध में जुर्माना भरवारक कार्यवाही समाप्त करना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर वाके सरहद रूवां के खसरा सं0 498 रकवा 7.9000 हैक्टयर किस्म गै.मु.गौचर में प्रार्थी द्वारा काटे गये 27 पेडों का जुर्माना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 84–86 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए 100/– अक्षरें एक सौ रू0 प्रति वृक्ष के हिसाब से कुल 27 पेडों के 2700/– अक्षरे दो हजार सात सौ रू0 जुर्माना आरोपित किया जाता है तथा राजकीय तहविल में लिये गये पेडों की नियमानुसार विधिवत निलामी इस्तेहार जारी कर निलाम करावें तथा अधिकतम बोलीदाता के नाम निलामी छोडते हुए राशि राजकोष में जमा करावें।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **30.06.2021** को खुले ईजलास में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2021.08.02 16:37:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner